## महत्वपूर्ण एवं खास

### सरकारी जमीन को स्वयं की बताकर बिक्री करने वालों पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

**रायगढ़।** ग्राम सुलोनी थाना पुसौर निवासी अवधराम पटेल पिता भूपदेव पटेल (उम्र 61 वर्ष) द्वारा थाना चक्रधरनगर में दिये गये शिकायत पत्र पर महादेव अग्रवाल एवं धमेंद्र अग्रवाल, धमेंद्र की पत्नि पिंकी अग्रवाल सदर बाजार रायगढ थाना कोतवाली पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/रिपोर्टकर्ता बताया कि केलो बिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले महादेव प्रसाद अग्रवाल आ स्व ताराचंद अग्रवाल (77 वर्ष) उसके पुत्र धर्मेन्द्र अग्रवाल (55 वर्ष) और उसकी बहु पिंकी अग्रवाल (50 वर्ष) से इसके पुत्र भवानी पटेल की जान-पहचान वर्ष 2015 से है। 10 जुलाई 2015 को महादेव प्रसाद अग्रवाल, धर्मेन्द्र अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल इसे रायगढ़ बुलाये और इसके पास छोटे अत्तरमुड़ा केलोबिहार आवासीय कालोनी के प्लाट नं. 40 रकबा 30×50 1500 वर्गफुट को 7,95,000/- रूपये में बेचने का प्रस्ताव रखे। भूमि के संबंध में पूछताछ करने पर वे बताये कि उक्त प्लाट महादेव प्रसाद अग्रवाल के मालिकाना हक का है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन अभी इसका लगान निर्धारित नहीं हुआ है इसलिये इसकी रजिस्ट्री लगान निर्धारित होने के बाद ही हो सकेगी। उन लोगों ने बताया कि 2-3 माह के भीतर लगान निर्धारित हो जाएगा। महादेव प्रसाद अग्रवाल, धर्मेन्द्र अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल की बातों में यकीन करके 7,95,000 /- रु0 (सात लाख पंचानबे हजार रुपये) की रकम का भुगतान कर दिया जिसके बाद वे लोग प्लाट का कब्जा दे दिये और गवाहों के सामने रकम पाने के बाद इकरारनामा भी निष्पादित किये। जब प्लाट का लगान निर्धारित होने में विलंब हुआ तो अवधराम पटेल कलेक्टरेट जाकर पता किये तो केलोबिहार स्थित प्लाट नं. 40 सरकारी नजूल जमीन होना पता चला। तीनों सरकारी जमीन को अपनी जमीन होना बताकर 7,95,000/- रू ( सात लाख पंचानबे हजार रुपये) की ठगी करने की लिखित शिकायत पर अनावेदकगण पर धारा 420,34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

### स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के लिए हुआ शुल्क का निर्धारण

**रायगढ़ ।** छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न मदों में लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 22 मई 2015 के अनुक्रम में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु विभिन्न मदों में शुल्क लिए जाने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के दिनांक 30 दिसंबर 2021 के आदेशानुसार हाई स्कूल हेतु प्रति विद्यार्थी कार्यकलाप मद 50 रुपये, निर्धन छात्र सहायता निधि 10 रुपये, विज्ञान क्लब निधि 10 रुपये, बलचर निधि 20 रुपये, रेडक्रास निधि 30 रुपये, क्रीड़ा शुल्क 50 रुपये, विज्ञान क्लब 10 रुपये, विज्ञान प्रायोगिक शुल्क 50 रुपये, परीक्षा शुल्क 150 रुपये सहित कुलयोग 380 रुपये विद्यालयीन शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। वहीं हायर सेकेंडरी विद्यालय हेतु प्रति विद्यार्थी कार्यकलाप मद 50 रुपये, निर्धन छात्र सहायता निधि 10 रुपये, विज्ञान क्लब निधि 10 रुपये विद्यालयीन शुल्क का निर्धारण किया गया है।

# कोरोना से निपटने रहे अलर्ट मोड में-कलेक्टर

» कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग व निजी अस्पताल संचालकों की ली बैठक

» स्वास्थ्य विभाग को पिछली लहर के दौरान की गई व्यवस्थाएं पुनः क्रियान्वित करने के निर्देश

» मेडिकल कालेज को तैयारी पूरी रखने व निजी अस्पतालों को कोविड वार्ड शुरू करने के निर्देश

» पुलिस विभाग को भी लगातार गाईड लाईन्स के पालन की जांच व मॉस्क चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 के नए वेरिएण्ट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलो को देखते हुए जिले में कोविड संक्रमण के नियंत्रण हेतु तैयारियों को लेकर आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग, प्राइवेट हॉस्पिटल, पुलिस एवं पीडब्लूडी विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे है, जिसे देखते हुए कोरोना नियंत्रण में जुटे सभी विभागों को अलर्ट मोड में काम करना है। पिछली लहर के दौरान जो स्वास्थ्य सुविधाएं जिले में तैयार की गई थी, उसे पुनः क्रियान्वित किया जाना है। अस्पतालों में बेड व मैन पावर की व्यवस्था के साथ ही सभी अन्य मेडिकल उपकरण व संसाधनों को व्यवस्थित रूप से तैयार कर किसी भी आपात कालीन स्थिति के लिए हमें खुद को रेडी रखना है। उन्होंने कहा कि इस दफा मामले तेजी से बढ़े है, हालांकि अभी तक गंभीर रूप से संक्रमण के मामले सामने नहीं आये है किन्तु प्रशासनिक स्तर पर संक्रमण से निपटने की पूरी व्यवस्था तैयार रखनी है।

उन्होंने मेडिकल कालेज प्रबंधन को कालेज के फर्स्ट फ्लोर में कोविड वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पतालों में फीवर क्लीनिक व आईसोलेशन वार्ड भी बनाने के लिए कहा। निजी अस्पतालों में भी उन्होंने पिछली बार की तरह कोविड वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में आक्सीजन व आईसीयू बेड जैसे सभी जरूरी तैयारियों का पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता व अस्पतालों में वेन्टीलेटर्स, मल्टी पैरामीटर्स, बाईपेप मशीन समेत सभी उपकरणों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में माइक सिस्टम, इलेक्ट्रीसिटी तथा अन्य व्यवस्थाओं की जांच पहले ही पूर्ण कर ले। इसके साथ ही पिछली बार अन्य स्थानों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स के लिए भी तैयारी रखने के निर्देश दिए ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल शुरू किया जा सके।

कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग निर्देशित किया कि टेस्टिंग सेंटर्स का व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं कोविड नियंत्रण के लिए हेल्थ विभाग का सेन्ट्रलाईज कंट्रोल रूम बनाया जाए एवं आइसोलेटेड मरीजों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर प्रारंभ किया जाए। जिससे जरूरी जानकारी मरीजों को मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन में टेंस्टिग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले को निर्देशित किया कि कंटेनमेंट प्रोटोकाल के पालन के साथ ही बार्डर में निगरानी के लिए पुलिस बल तैनात करें। पुलिस विभाग द्वारा कोविड नियंत्रण के लिए जारी प्रशासनिक गाईड लाईन के पालन की जांच करें, साथ ही मॉस्क चेकिंग अभियान भी पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाए। बिना मॉस्क के निकलने वालों पर जुर्माना लगाए तथा कंटेनमेंट नियमों का सख्ती से पालन करवायें।

बैठक में अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, एडिशनल एसपी लखन पटले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा, महिला बाल विकास अधिकारी टी.के.जाटवर, डॉ.योगेश पटेल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

## नेतनागर के जंगल में शराब बनाने रखा गया 47 बोरी महुआ पास किया गया नष्ट, अवैध शराब भट्ठी धवस्त

**रायगढ़।** जिले में अवैध रूप से शराब बनाने तथा बेचने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर लगातार कार्रवाइ की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 04.01.2022 को चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक उत्तम साहू को उनके सक्रिय मुखबिर से सूचना मिली कि नेतनगर के जंगल में कुछ लोग महुआ शराब बना रहे हैं। सूचना पर चौकी के आरक्षक को लेकर टीआई उत्तम साहू नेतनागर के घने जंगल में पहुंचे। जहां गांववालों और स्टाफ के साथ करीब 3 किमी मीटर जंगल अंदर जाने के बाद एक स्थान पर अवैध रूप से महुआ शराब बनाने महुआ पास बोरी में एकट्ठा कर रखा हुआ था, पुलिस की भनक पाकर शराब बनाने वाले वहां से फरार हो गए थे। टी.आई. उत्तम साहू और आरक्षक प्रकाश गिरी द्वारा करीब 47 बोरी महुआ पास को नष्ट किया गया और अवैध शराब भट्ठी को धवस्त किया गया। पश्चात टीआई उत्तम साहू ग्राम नेतनागर के प्रमुख व्यक्तियों से गांव एवं जंगल में शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जावेगी बताये। इस संबंध में गांव में मुनादी करने एवं अवैध गतिविधियों की सूचना देने कहा गया है। जूटमिल पुलिस द्वारा इसके पूर्व भी नेतनागर जंगल नदी किनारे हो रहे अवैध शराब भट्ठी को तोड़कर तहस-नहस किया गया था। कई कार्रवाई में अवैध शराब बनाते पकड़े गये आरोपियों पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर जेल भी भेजा गया है।

## कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

### रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक दुकानें रहेंगी बंद, स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्र भी आगामी आदेश तक रहेंगे बंद

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

**रायगढ़।** कोरोना वायरस (कोविड-19)एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा गाईड लाईन जारी किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर भीम सिंह ने वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिक्रान के रोकथाम हेतु आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। केवल लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाएगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। सभी पुस्तकालय, स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा घर एवं थियेटर बंद रहेंगे। सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि के सामूहिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं होटल क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी।

## दो लाख रुपए की चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार

» आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ जेपीएल एरिया से की थी लाइट, जीबी बाक्स, पाइप व केबल की चोरी

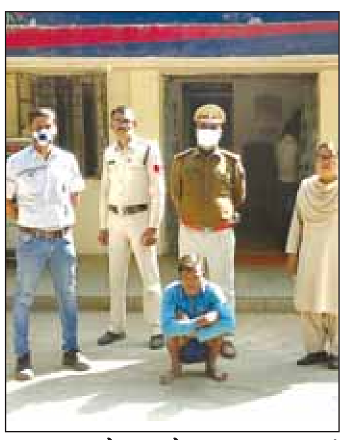

**रायगढ़।** आज दिनांक 04.01.2022 के सुबह थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक एलपी पटेल, आरक्षक अरविंद पटनायक के साथ ग्राम जांजगीर चोरी के आरोपी भजनलाल धोबा की पतासाजी के लिये मोटर सायकल पर पहुंचे। पुलिस को देख आरोपी युवक गांव के समीप जांजगीर जंगल में छिपने भागा जिसका मोटर सायकल पर पीछा करते हुए टीआई एलपी पटेल व आरक्षक जंगल पहुंचे, जहां उबड़-खाबड़ रास्तों से भाग रहे आरोपी को काफी दूर दौड़ाकर पकड़े और उसके घर लेकर आये। आरोपी भजनलाल धोबा पिता सुबलोराम धोबा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम जांजगीर थाना तमनार के घर पर चोरी का काफी सामान रखा हुआ था जिसे आरोपी द्वारा अपने साथी केशव के साथ पिछले कई दिनों से जेपीएल माइंस एरिया से चोरी कर घर में छिपा कर रखना बताया। आरोपी के मेमोरेंडम पर (1) जी.बी. बाक्स 05 नग (2) लाईट 05 नग (3) एचडीपीई पाईप 20 फीट 07 नग (4) इलेक्ट्रिक केबल तार लगभग 50 मीटर (5) स्क्रेप एंगल 03 नग कुल कीमती करीब 2 लाख रूपये का बरामद किया गया। आरोपी भजनलाल धोबा के साथी केशव निवासी जांजगीर की पतासाजी किया गया जो फरार है।

घटना के संबंध में कल दिनांक 03.01.2022 को जेपीएल माइंस तमनार के सिक्युरिटी इंचार्ज शिव प्रसाद बंजारा द्वारा जेपीएल माईंस गारे 4/1 क्षेत्र में हो रही चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 27.12.2021 को जेपीएल माईंस से जीबी बाक्स को भजन धोबा और केशव को चोरी कर ले जाते हुये देखे हैं। रिपोर्ट पर अप.क्र. 03/2022 धारा 379,34 ताहि कायम किया गया था, गिरफ्तार आरोपी भजनलाल धोबा को अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर तमनार टीआई द्वारा चोरी गई पूरी सम्पत्ति के साथ गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्रवाई में टीआई तमनार के साथ आरक्षक अरविंद पटनायक की अहम भूमिका रही है।

## आठ लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

**रायगढ़।** आज दिनांक 04.01.2022 के दोपहर थाना प्रभारी पूंजीपथरा को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति गेरवानी से पैदल फुटहापुल रास्ते से उज्जलपुर तरफ अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थाने से तराईमाल, गेरवानी की ओर पेट्रोलिग पर रवाना हुए थाने के सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, हमराह आरक्षक आदिकंद प्रधान, खेमलाल चौहान, विरेन्द्र कंवर, भगवती प्रसाद रत्नाकर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पुलिस टीम गेरवानी मेन रोड फुटहापुल के पास जाकर नाकेबंदी किया गया। तभी पुलिस टीम को गेरवानी की ओर से पैदल कंधे में एक बोरी में लेकर आ रहे व्यक्ति को रोककर चेक किया गया। बोरी अंदर एक पीला रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के जरिकेन में भरी हुई करीब 08 लीटर महुआ शराब मिला, पूछताछ करने पर आरोपी अपना नाम गणेश राम अगरिया पिता रोहितराम अगरिया उम्र 28 साल निवासी गेरवानी अगरिया पारा थाना पूंजीपथरा का बताया जिस पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा कल भी ग्राम उज्जवलपुर में अवैध शराब की कार्यवाही कर 15 लीटर महुआ शराब महिला से जप्त कर कार्यवाही किया गया था।

## राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के हाथों सम्मानित हुई आदर्श महिला स्व-सहायता समूह जामपाली की महिलाएं

**रायगढ़ ।** इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छ.ग कृषि शिक्षा प्रणाली विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा आदर्श महिला-स्वसहायता समूह ग्राम-जामपाली, जिला-रायगढ़ की महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया।

राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा किये जा रहे उल्लेखनीय कार्य की प्रशंसा की गई एवं उन्हें स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र, रायगढ़ के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य कर रहे आदर्श महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गुणवत्ता पूर्ण मूल्य संवंर्धित उत्पाद जैसे-उड़द बड़ी, रखिया बड़ी, बिजौरी बड़ी, प्रसिद्ध पटेल पापड़, मौसम अनुकुल विभिन्न प्रकार के लड्डू, अचार, उन्नत केचुआँ कम्पोस्ट खाद, आदि बनाकर स्वयं तो सशक्त हो रही है साथ ही साथ अन्य 180 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर रोजगार एवं उद्यम की धारा में सामने ला रहे है। उनके मार्गदर्शन में कई महिलाएं आगे बढ़ रहे है। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख इ.आर.के स्वर्णकार एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के आहार एवं पोषण वैज्ञानिक डॉ.मनीषा चौधरी के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रांगण में 1 जनवरी 2022 को प्रदर्शनी व स्टॉल लगाई गई थी।

## कंटेनमेंट नियमों का सख्ती से हो पालन, लगातार जारी रखें मास्क जांच अभियान : कलेक्टर सिंह

» कलेक्टर सिंह ने समय-सीमा की बैठक में दिए निर्देश

**रायगढ़ ।** कोरोना के जिले में बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने तमाम एहतियात बरतने के निर्देश आज समय-सीमा की बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट नियमों का सख्ती से पालन करवायें। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करें। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी रखने तथा पुलिस बल भी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ से कहा कि बार्डर से आने वाले लोगों की जांच की जाए। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड में भी जांच की व्यवस्था रखें। सभी सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क जांच अभियान चलाए। मॉस्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही करें। उन्होंने सभी एसडीएम को विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्योगों में भी क्वारेंटीन सेंटर बनाने तथा बाहर से आने वाले लोगों को आईसोलेट किए जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने समय-सीमा की बैठक में गौठान संचालन की समीक्षा की। उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी व कम्पोस्ट निर्माण की जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने कहा कि पंचायतों के आश्रितों ग्रामों के पशुपालकों का गोबर क्रय किया जाना है इसके लिए निर्देश दिए जा चुके है अतः सभी सीईओ जनपद ग्राम स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें, जिससे आश्रित ग्रामों के पशुपालक गौठान में गोबर विक्रय कर सके। कलेक्टर सिंह ने वन विभाग के पूर्ण हुए गौठानों में भी कम्पोस्ट निर्माण का काम शुरू करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों परम्परागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कुम्हार, बसोड़, झारा शिल्प जैसे विभिन्न समुदायों के प्रमुखों की ली बैठक के आधार पर गौठानों में उनके द्वारा कार्य शुरू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने गौठानों में पैरादान बढ़ाने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने केसीसी निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने कृषि के साथ-साथ मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी के केसीसी प्रकरणों को भी जल्द निराकृत करने के लिए कहा। बैठक में कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना व हाट-बाजार क्लीनिक संचालन की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रति कैम्प जांच व इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने धन्वंतरि मेडिकल स्टोर के संचालन की भी समीक्षा की। घरघोड़ा में मेडिकल स्टोर को प्रमुख व्यवसायिक स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाए जा रहे ब्लड बैंक व हमर लैब के निर्माण की प्रगति भी जानी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि निर्माण कार्य पूरा होते तक वैकल्पिक रूप से जांच सुविधा उपलब्ध करायी जाए। साथ ही जिन अस्पतालों में ब्लड बैंक है वहां ब्लड की उपलब्धता नियमित रूप से सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सिंह ने डीएफओ रायगढ़ तथा डीएफओ धरमजयगढ़ से जिले में वनोपज खरीदी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले में खरीदे जाने वाले वनोपज को लेकर वैल्यू एडिशन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिससे कि वनोपज संग्राहकों के साथ-साथ दूसरे हितग्राहियों को भी वनोपज आधारित उद्यमों से जोड़ा जा सके। उन्होंने धरमजयगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत खलबोरा में गरीबी मुक्त गांव प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480